रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102025-266595
CG-DL-E-01102025-266595

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4367] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 1, 2025/आश्विन 9, 1947
No. 4367] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 1, 2025/ASVINA 9, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

[केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (कोफेपोसा विंग)]

आदेश

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2025

का.आ. 4492(अ).— विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत विशेष रूप से सशक्त, भारत सरकार के संयुक्त सचिव, ने उक्त उप-धारा के तहत जारी दिनांक 27.08.2024 के आदेश संख्या पीडी-12001/15/2024-कोफेपोसा में निर्देश दिया है कि श्री छबी लाल अगस्ती उर्फ नवराज, पुत्र श्री झकराज जैशी, निवासी ग्राम पंचायत-1, सखुवा प्रसौनी, जिला परसा, नेपाल (नेपाल सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट संख्या 05232524) को भविष्य में (i) माल की तस्करी, (ii) तस्करी किए गए माल की ढुलाई, छिपाने एवं रखने की प्रक्रिया में शामिल होने और (iii) तस्करी किए गए माल के लेन-देन करने से रोकने के उद्देश्य से हिरासत में लिया जाए और सेंट्रल जेल, तिहाड़, नई दिल्ली में रखा जाए।

2. जबकि केंद्रीय सरकार के पास यह मानने के कारण हैं कि उपरोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने आप को छिपा रहा है, ताकि आदेश को निष्पादित नहीं किया जा सके।

3. अब, इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार उपरोक्त व्यक्ति को, एतद्द्वारा, भारत के राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन के 7 दिनों के भीतर पुलिस आयुक्त, दिल्ली, पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड, नई दिल्ली के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश देती है।

[फा. सं. पीडी-12001/15/2024-कोफेपोसा]

अनुपम प्रकाश, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

[Central Economic Intelligence Bureau (COFEPOSA WING)]

ORDER

New Delhi, the 30th September, 2025

S.O. 4492(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued Order No. PD-12001/15/2024-COFEPOSA dated 27.08.2024 under the said sub-section directing that Mr. Chhabi Lal Agasti alias Navraj, S/o Mr. Jhakraj Jaishi, R/o Gram Panchayat-1, Sakhuwa Prasauni, District Parsa, Nepal (Passport No. 05232524 issued by Government of Nepal) be detained and kept in Central Jail, Tihar, New Delhi with a view to preventing him from (i) smuggling of goods, (ii) engaging in transporting, concealing and keeping of smuggled goods and (iii) dealing in smuggled goods in future.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or has been concealing himself so that the Order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Delhi, Police Headquarters, Jai Singh Road, New Delhi within 7 days of the publication of this Order in the Official Gazette.

[F. No. PD-12001/15/2024-COFEPOSA]

ANUPAM PRAKASH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL Date: 2025.10.01 21:41:05 +05'30'